सहकारिता विभाग
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या–12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति (फायदाग्राही एवं कार्यक्रम)

निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय सूची

मैनुअल संख्या–12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति (फायदा ग्राही एवं कार्यक्रम)

क0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सहकारिता आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास	4–5
2	विभागीय स्वरूप एवं संस्थागत स्वरूप	6–7
3	सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनायें	7–11
4	मुख्य कार्यक्रम	11–15
5	जिला सहकारी बैंको में ब्याज दर	16
6	समितियों द्वारा सदस्यों को वितरित ऋण	17
7	विवाद एवं उनका निपटारा	18
8	उत्तरॉचल सहकारी समिति अधिनियम 2003 के मुख्य बिन्दु	18–20
9	उत्तरॉचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003–मुख्य बिन्दु	20–22

सहकारिता विभाग

उत्तराखण्ड

योजनायें

कार्यक्रम एंव समाधान

सहकारिता आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास

भारत के ग्रामीण अंचलों में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ करते हुए सहकारिता के माध्यम से आसान शर्तो पर कर्ज दिलवानें की व्यवस्था की अधिकारिक रूप से शुरूआत वर्ष 1904 में सहकारिता ऋण समिति अधिनियम बनने से हुई है, जो सहकारिता की दिशा में पहला कदम था। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ में केवल दो प्रकार (शहरी क्षेत्रों एंव ग्रामीण क्षेत्रों) की समितियों का गठन किया गया । इस अधिनियम के पारित होते ही इसके प्राविधानों को उत्साह के साथ लागू करते हुए विभिन्न प्रान्तीय सरकारों द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये और सहकारिता के सम्बन्ध में प्रभावी शैक्षिक कार्यक्रम चलाये गये, जिससे आगामी वर्षो में सहकारी आन्दोलन में प्रगति स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होनें लगी तथा इस अधिनियम में कुछ कमियां भी सामने आने लगी । जिन्हे दूर करते हुए तथा सहकारिता के कार्यक्षेत्र में वृद्वि लाते हुए वर्ष 1912 में नया सहकारी अधिनियम बनाया गया इस अधिनियम में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में गठित की जाने वाली समितियों के अन्तर को समाप्त कर दिया गया तथा सहकारिता आन्दोलन के प्रसार को समुचित संरक्षण भी मिल गया एंव ऋण देनें के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए भी सहकारी समितियों का गठन सम्भव हो सका ।

तत्पश्चात सहकारी आन्दोलन में बहुमुखी प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1965 में उ0प्र0 में नये सहकारी अधिनियम का गठन किया गया, जो उत्तरांचल राज्य में भी प्रचलित रहा ।

वर्तमान में उत्तरांचल राज्य का नया सहकारी समिति अधिनियम गठित कर दिया गया है, जिसमें पूर्ववर्ती अधिनियमों की कमियों में सुधार लाने का प्रयास किया गया, सहकारी बन्धुओं को और अधिक अधिकार देते हुए निबन्धक के अधिकारों में कमी की गयी है ।

उक्त के अतिरिक्त एक नया स्वाश्रयीय (आत्मनिर्भर) सहकारी अधिनियम 2003 का गठन किया गया । जिसमें सहकारी समितियों को निबन्धक के नियन्त्रण से पूर्ण मुक्त करते हुए समिति की सामान्य सभा को पूर्ण उत्तरदायित्व दिये गये हैं। इस प्रकार गठित समितियों को राज्य की सहायता भी समान्यतः उपलब्ध नहीं होंगी, समितियॉ अपना कार्य क्षेत्र एवं कार्य करने के लिये पूर्णतः स्वतन्त्र होंगी।

सहकारिता विभाग के संगठन का दृष्टिकोण न केवल कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है वरन प्रदेश के विभिन्न आंचलों में ग्रामीण तथा शहरी जनता की निर्बल और निर्धन वर्ग को समृद्विशाली बनाते हुए उनके स्तर को ऊंचा उठाना है । इन उद्‌देश्यो की पूर्ति के लिए सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे– सहकारी ऋण एंव अधिकोषण योजना, क्रय–विक्रय योजना, उपभोक्ता योजना, भेषज विकास एंव जडी–बूटी योजना आदि कार्यान्वित कर सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।सहकारी समितियों के द्वारा अपने सदस्यो को 14 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण वितरण किया जाता था , जिसमें कटौती कर ब्याज दर 11 प्रतिशत कर दी गई । सभी प्रकार के ऋणों पर ब्याज दरें 9 प्रतिशत से 12.50 प्रतिशत तक निर्धारित कर दी गयी हैं

यह विभाग ऐसी समितियों के लिए एक मित्र, विचारक एंव पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है । उनके कार्यो में आवश्यक निर्देश देता है तथा पर्यवेक्षण करता है । सहकारी समितियों संस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने एंव निर्बल वर्ग के लोगों को अंश हेतु ऋण देनें के अतिरिक्त कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विधायन एंव संग्रहण में सहायता करती है, और क्रय–विक्रय की व्यवस्था कर उत्पादकों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाने में सहयोग प्रदान करती है । यह समितियां किसानों के कृषि कार्य के प्रयोग में आने वाली अधिक अच्छी वस्तुओं को सस्ते दर पर उपलब्ध कराने में सुविधा प्रदान करती है तथा उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को भी उपलब्ध कराती है।

उत्तराचंल में 763 प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां है, जिनको बहुद्‌देशीय स्वरूप प्रदान किये जाने हेतु प्रत्येक समिति पर एक गोदाम, एक दुकान एंव कार्यालय रखा जा रहा है । सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों में प्रशासनिक क्षमता बढाने हेतु सहकारी पर्यवेक्षकों प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों में कार्यरत सचिवों एंव जिला सहकारी बैंको के सचिवों आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी विभाग द्वारा सम्पन्न कराई जाती है ।

सहकारिता विभाग में गठित जिला सहकारी बैंक तथा उनकी शाखाओं के माध्यम से अल्पकालीन,मध्यकालीन एंव दीर्धकालीन ऋणों का वितरण किया जाता है । प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों द्वारा ऋण वितरण, खाद–बीज वितरण, कीटनाशक कृषि रक्षा रसायन एंव दैनिक उपभोक्त की वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय जनता को कराई जाती है । केन्द्रीय उपभोक्ता

भण्डारों एंव उनकी शाखाओं के माध्यम से उत्तराचंल के शहरी एंव ग्रामीण अंचलों मे निरन्तर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति उचित मूल्य पर की जा रही है। सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराये जा रहे हैं । भेषज संघों के माध्यम से जडी–बूटी व्यवसाय कराया जा रहा है , साथ ही स्थानीय कृषकों का चयन कर जडी–बूटी कृषिकरण का कार्य भी करवाया जा रहा है। भेषज संघों द्वारा अपनी नर्सरियां स्थापित कर जडी–बूटी के बीज–पौध कृषकों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति एंव जनजाति के लोग है जिनके पास इतने साधन उपलब्ध नहीं है कि वे सहकारी ऋण संस्थाओं के सदस्य बनकर प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता से अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सके । अतएव इस वर्ग के लोगों को सहकारिता की परिधि में लाकर उनका सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा ट्राईबल सब प्लान कार्यान्वित किया गया है । उक्त योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2004–05 में अल्पकालीन, मध्यकालीन वितरण हेतु क्रमशः रू0 21000 लाख, रू0 555 लाख रू0 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसी प्रकार क्रय–विक्रय योजनान्तर्गत 9251 कु0 प्रमाणित बीज, 200 लाख रू0 का कृषि उपजों का विक्रय तथा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 140000 मै0टन गेहूँ खरीद का लक्ष्य रखा गया है। उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से 4200 लाख रू0 के उपभोक्ता व्यवसाय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । भेषज विकास एंव जडी–बूटी योजना के अन्तर्गत 400 लाख रू0 का व्यवसाय किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 75000 मै0टन रासायनिक उर्वरकों के वितरण किये जाने का लक्ष्य किया गया है ।

–उत्तराचंल में सहकारिता आन्दोलन –

(क) विभागीय स्वरूप

सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ गति प्रदान करने, प्रभावी संचालन, मार्गदर्शन एंव पर्यवेक्षक हेतु निम्न व्यवस्था है :–

- प्रादेशिक स्तर पर विभागाध्यक्ष निबन्धक, सहकारी समितियां,
- निबन्धक के सहायतार्थ अपर निबन्धक, उप निबन्धक, प्रमुख भेषज विशेषज्ञ, अन्य अधिकारी एंव अन्य अधिकारी एंव कर्मचारी ।
- जिला स्तर पर जिला सहायक निबन्धक
- तहसील स्तर पर सहकारी निरीक्षक वर्ग–1 / अपर जिला सहकारी अधिकारी
- विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (सह0) / सहकारी निरीक्षक वर्ग–2
- जडी–बूटी तथा भेषज विकास के लिए प्रमुख भेषज विशेषज्ञ , भेषज विशेषज्ञ, जिला भेषज अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (जडी–बूटी), ग्रेडिंग असिस्टेन्ट, ग्रेडिंग सुपरवाइजर आदि

(ख) संस्थागत स्वरूप (31 –03–2004 की स्थिति) –

(1) शीर्ष सहकारी संस्थायें–

1–उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी, नैनीताल।

2–उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि0 देहरादून।

3–उत्तराखण्ड को–आपरेटिव रेषम फेडरेषन लि0, प्रेमनगर, देहरादून।

4–उत्तराखण्ड राज्य सहकारी आवास संघ लि0, काषीपुर, ऊधमसिंहनगर।

5–उत्तराखण्ड राज्य हथकरघा/बनुकर एवं हस्तषिल्प सहकारी संघ लि0, काषीपुर।

6–उत्तराखण्ड राज्य भेड़, बकरी, षषक पालक को–आपरेटिव फेडरेषन लि0,, पषुधन भवन मोथरावाला रोड़, देहरादून।

7–उत्तराखण्ड प्रादेषिक को–आपरेटिव यूनियन लि0, देहरादून।

8– उत्तराखण्ड कुक्कट एवं पषुपालन सहकारी संघ लि0 152, किषन नगर एक्स, देहरादून।

9– उत्तराखण्ड लेबर कॉन्ट्रेक्ट को–आपरेटिव फेडरेषन लि0, देहरादून।

10–उत्तराखण्ड सहकारी सेब उत्पादन एवं विपणन संघ लि0।

11–उत्तराखण्ड उपभोक्ता सहकारी संघ लि0।

12–उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि0।

13–उत्तराखण्ड राज्य ग्रामोदय सहकारी संघ लि0।

14–उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम लि0।

(2) केन्द्रीय सहकारी संस्थायें –

• जिला सहकारी बैंक लि0–	10
• जिला केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्ड़ार लि0,–	06
• जिला सहकारी संघ लि0 –	07
• जिला सहकारी बैंको की शाखायें–	312
• अन्य केन्द्रीय समितियॉं–	83

(3) प्रारम्भिक सहकारी समितियां–

• कृषि सहकारी समितियॉं–	228
• कृषि उत्पादन एवं औद्योगिक सह0 समि0	89
• मधुमक्खी पालन	5
• उपभोक्ता सह0 समि0	91

• क्रेडिट और थ्रिफ्ट सह0 समि0	132
• डेयरी सह0 समि0	2816
• शैक्षिक एवं प्रशिक्षण सहकारी समितियां	1
• मत्स्यजीवी सह0समि0	291
• हस्तशिल्प सहकारी समि0	8
• हथकरघा कपड़ा और बुनकर सहकारी समिति	47
• गृह निर्माण सह0 समि0	94
• श्रम सह0समि0	425
• पशुधन एवं मुर्गीपालन सह0 समि0	215
• विपरण सह0 समि0	257
• विविध गैर–क्रैडिट सह0 समि0	41
• बहु0सह0समि0	18
• प्राथमिक कृषि ऋण समि0	671
• रेशम समि0	29
• समाज कल्याण एवं सांस्कृतिक सह0 समि0	13
• चीन मिल समि0	10
• पर्यटन सहकारी समि0	11
• परिवहन सह0 समि0	25
• ज्नजातीय एस0सी0/एस0टी0 सह0 समि0	5
• नगरीय सह0 बैंक	6
• महिला कल्याण सह0 समि0	2

– विभाग द्वारा संचालित योजनाये/कार्यक्रम –

➢ जिला सेक्टर योजनाऐंः–

- सहकारी ऋण एंव अधिकोषण योजना
- सहकारी क्रय–विक्रय योजना
- सहकारी उपभोक्ता योजना

- राज्य सेक्टर योजनाऐंः–
  - सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एंव प्रचार–प्रसार योजना
  - कृषि निवेश आपूर्ति एंव वितरण योजनान्तर्गत उर्वरक परिवहन पर राज सहायता
  - पैक्स मिनी बैकों में जमा निक्षेप के लिए निक्षेप गारन्टी योजना कारपस फण्ड
  - राज्य सहकारी परिषद हेतु वित्तीय सहायता
  - सहकारी संस्थागत सेवामण्डल हेतु राज सहायता
  - दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना
  - राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के संचालन हेतु वित्तीय सहायता
  - राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु एन0सी0डी0सी0 द्वारा अनुदान
  - मिलेटस मिशन योजना
  - मोटर साईकिल टैक्सी योजना
  - एमपैक्स के माध्यम से जन औषधि केन्द्र
  - सहकारी क्षेत्र विकास (राठ विकास अभिकरण)
  - किसान समृद्धि कार्ड योजना के माध्यम से दृर्घटना बीमा सुविधा
- <u>पूॅजीगत योजनाऐंः–</u>
  - निबन्धक कार्याल भवन निर्माण हेतु अनुदान।
- <u>ऋण योजनाऐंः–</u>
  - उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 हेतु कार्यशील पूॅजी
  - राज्य समेकित सहाकरी विकास परियोजना एन0सी0डी0सी0 द्वारा ऋण
  - काशीपुर में शॅापिंग कॉम्पलैक्स का निर्माण
- <u>केन्द्र पोषित योजनाऐंः–</u>

- पैक्स का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्रपोषित)90% केन्द्राशः।
- निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हेतु सॉफ्टवेयर के लिए 100% केन्द्राशः।
- निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हार्डवेयर क्रय हेतु केन्द्राशः 90%।
- पैक्स का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्रपोषित) 10% राज्याशः।
- निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हार्डवेयर क्रय हेतु राज्याशः 10%

➢ नई योजनाऐंः—

- उत्तराखण्ड कॉपरेटिव रेशम फेडरेशन को सीड कैप्टल हेतु आर्थिक सहायता हेतु वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में।
- मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना।

क—सहकारी ऋण एंव अधिकोषण योजना—

- पैक्स के सचिवों के वेतन हेतु कामन कैडर अनुदान—
- जिला सहकारी बैंक की शाखाओं को 3 वर्षो तक प्रबन्धकीय एंव 1 वर्ष साज—सज्जा हेतु अनुदान
- अनुसूचित जाति एंव जनजाति के सदस्यों को अंशक्रय हेतु अधिकतम 100 रूपये तक ब्याज रहित ऋण/अनुदान
- प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों को वर्ष दौरान ऋण वितरण में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान
- प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों को मिनी बैंक की स्थापना हेतु प्रबन्धकीय एंव साज—सज्जा अनुदान
- अनु0जाति/जनजाति के सदस्यों को ब्याज पर 3 प्रतिशत की दर से राहत हेतु अनुदान

(ख)—सहकारी क्रय—विक्रय योजना—

- क्रय—विक्रय समितियों को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान
- क्रय—विक्रय समितियों को पुर्नस्थापना हेतु अनुदान

(ग) सहकारी उपभोक्ता योजना—

- केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों को मूल्य उतार—चढाव निधि हेत अधिकतम 25000/—प्रति वर्ष अनुदान—
- केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों/लीड समितियों/जिला सहकारी संघों को अधिकतम 25000/—प्रति वर्ष अनुदान—
- पैक्स/लैम्पस को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु 5000/ का यातायात अनुदान
- संघ के सचिवों के वेतन हेतु राहत अनुदान

(ङ.) सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एंव प्रचार–प्रसार योजना

(च) पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति एंव वितरण योजनान्तर्गत उर्वरक परिवहन पर राज सहायता

(छ) कृषि निवेशों के परिवहन पर राज सहायता

(ज) एकीकृत सहकारी विकास योजना

(झ)– केन्द्र पोषित योजनाऐं (मैक्रोमोड–कृषि विभाग के बजट के अन्तर्गत)

- अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए रू0 1.00 लाख प्रति समिति की दर से विशेष योजना–
- महिला सहकारी समितियों को प्रति समिति की दर से 1.00 लाख रू0 वित्तीय सहायता–
- क्रेडिट स्टेब्लाईजेशन फण्ड–
- केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों/जिला संघो को पुर्नस्थापना हेतु 10.00 लाख रू0 तक वित्तीय सहायता

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ (वर्ष 2004–05 में)

- उत्तरांचल राज्य में इस संघ का गठन वर्ष 2002–03 में
- 01–10–2002 से कार्य प्रारम्भ
- प्रथम चरण में उ0प्र0 पी0सी0एफ0 से 16 कर्मचारी / अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
- वर्ष 2004–05 में संघ ने 33917 मै0 टन उर्वरक का वितरण
- 707 कु0 प्रमाणित बीज वितरण,
- 24.23 लाख रू0 का कृषि रक्षा रसायन वितरण
- 55.37 लाख रू0 का उपभोक्ता व्यवसाय
- वर्ष 2004–05 तक कुल 432 लाख रू0 अंशपॅूजी प्राप्त

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0

- भारतीय रिजर्व बैंक से लाईसेन्स प्राप्त
- शाखा देहरादून एंव हल्द्वानी ने कार्य प्रारम्भ किया
- वर्ष 2004–05 में अब तक 1990 लाख रू0 अंशपूंजी
- बैंक में कुल जमा 102 करोड़ रू0
- ऋण वितरण 21.75 करोड़ रू0

एन.सी.डी.सी. के अन्तर्गत सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली योजनायें

- क्रय–विकय सहकारी समितियों को व्यवसाय वृद्वि हेतु अषंपूजी अधिकतम सीमा 5.00 लाख , जिसकी वसूली 8 **वर्ष** पष्चात 8 समान वार्षिक किष्तों में ।
- क्रय–विक्रय एंव केन्द्रीय उपभोक्ता भण्ड़ार हेतु वाहन खरीद में वित्तीय सहायता जिसमें 50 प्रतिषत ऋण एंव 40 प्रतिषत अंषपूंजी ।
- बीज प्रसस्करण इकाई स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता, जिसमें 95 प्रतिषत ऋण तथा 5 प्रतिषत समिति द्वारा वहन किया जाता है ।
- पैक्स, लैम्पस, एफ.एस.एस. आदि सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण, नवीनीकरण, उच्चीकरण के लिए वित्तीय सहायता ।
- पैक्स, लैम्पस, एफ.एस.एस. जो उपभोक्ता व्यवसाय वितरण का कार्य करती हैं उन्हें मार्जिन मनी, परिवहन वाहन की खरीद एंव शौपिंग काम्पलैक्स आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।
- जनजाति सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण हेतु 33 प्रतिषत अनुदान सहित वित्तीय सहायता ।

आई.सी.डी.पी. योजना–

- चयनित जनपदों के समग्र विकास के लिए प्रस्तावित वर्तमान में ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, हरिद्वार, चमोली, एंव पिथौरागढ़ में क्रियान्वित
- उत्तराचंल के समस्त जनपदों में भविष्य में चरणबद्व तरीके से लागू की जायेगी ।
- योजना के अन्तर्गत समितियों की भण्ड़ारण क्षमतावृद्वि
- समितियों को मार्जिन मनी उपलब्ध कराना ।
- सहकारिता प्रषिक्षण प्रचार–प्रसार ।
- मानव विकास संसाधन हेतु वित्तीय सहायता ।
- सहकारी बन्धुओं का अन्य प्रदेश की सहकारिताओं का अध्ययन भ्रमण ।

–मुख्य कार्यक्रम–

विभाग द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित किये जा रहे मुख्य कार्यक्रम –

- अल्पकालीन ऋण वितरण
- मध्यकालीन ऋण वितरण

- दीर्धकालीन ऋण वितरण
- नये सदस्यों के प्रवेश से सहकारिता का आच्छादन
- उपभोक्ता व्यवसाय
- उर्वरक व्यवसाय
- कृषि निवेशों एंव कृषि रक्षा रसायनों की आपूर्ति सम्बन्धी व्यवसाय
- जडी–बूटी व्यवसाय, कृषिकरण एंव कृषिकरण हेतु ऋण वितरण
- सहकारी देयों की वसूली
- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषि उपजों (गेहूँ एंव धान) की खरीद
- किसान क्रेडिट कार्डो का वितरण
- महिला समूहों का गठन
- उत्तराचंल राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा बासमती एंव जडी–बूटी की कान्ट्रैक्ट फार्मिगं
- चीनी मिलों को वित्तपोषण
- विविध प्रयोजन हेतु बैंकों द्वारा ऋण वितरण
- एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं द्वारा सहकारी समितियों में ग्रामीण गोदामों का निर्माण
- प्रारम्भिक सहकारी समितियों को स्वाश्रयी बनाने हेतु कार्ययोजना प्रारम्भ

ब्याज दरें

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 से सम्बन्धित

कार्यालय ज्ञाप

विभिन्न बैंकों द्वारा निक्षेपों पर ब्याज दरों में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप बैंक द्वारा सावधि निक्षेपों पर दी जाने वाली ब्याज दरों में दिनांक 28.05.2025 से निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है।

अवधि	दिनाँक 28.05.25 से संशोधित ब्याज दर % वार्षिक)	
	सामान्य	वरिष्ठ नागरिक
07 दिन से 45 दिन तक	3.50	4.00
46 दिन से 180 दिन तक	4.50	5.00
181 दिन से एक वर्ष से कम तक	5.75	6.25
एक वर्ष	6.80	7.30
एक वर्ष से अधिक तीन वर्ष तक	6.75	7.25
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से कम	6.70	7.20
5 वर्ष व अधिक एवं 10 वर्ष तक	6.50	7.00

Interest Rate for inter bank/institutional deposit are as follows:–

अवधि	दिनांक 28.5.25 से संशोधित ब्याज दर % वार्षिक
07 दिन से 45 दिन तक	4.15
46 दिन से 180 दिन तक	5.00
181 दिन से एक वर्ष से कम तक	6.20
Callable (With premature withdrwal) एक वर्ष (10 करोड़ से कम)	7.20
एक वर्ष (10 करोड़ एवं अधिक)	7.25
Non Callable (Without premature payment facility) एक वर्ष (10 करोड़ से कम)	7.30
एक वर्ष (10 करोड़ एवं अधिक)	7.35

उपरोक्त से अतिरिक्त बचत खाते में विभिन्न बैंकों द्वारा ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं होने के कम में बचत खाते में दिनांक 28.05.25 से ब्याज दर 2.90 प्रतिशत रहेगी।

पुर्व की भांति मु0 1.00 करोड़ रू से अधिक जमाओं पर प्रचलित ब्याज दरों से भिन्न ब्याज बैंक प्रबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमन्य किया जायेगा।

Premature Withdrawal:

1- The penalty for premature withdrawal of deposits upto One Crore will be 1.00% P.a. and above Rs. One Crore deposits for all tenors will be 0.50% p.a. below the contracted rate. However no interest will be paid if the deposit remains with the bank for less than 7 days period.
2- There is no discretion for reduction/ waiver of penalty for premature withdrawal of term deposits.
3- No premature penalty will be levied from staff and Ex. Staff.
4- Interest rates are subject to change. Hence depositor will ascertain the rates as on the date of placement from i.e 28.05.2025
5- Aggregate value of deposits placed by a depositor on the day for an indentical tenor will be taken for deciding applicable interest rate.
6- Interest is calculated on daily product basis and is credited on quarterly basis in the months of June, Sep, Dec, and March every year.

(प्रदीप मेहरोत्रा)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी

पत्रांक 407 लेखा/ब्याज दर-निक्षेप/2025-26 दिनांक 27-05-2025

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. समस्त शाखा प्रबन्धक उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 उत्तराखण्ड।
2. डी0वी0ए0 उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी।
3. समस्त महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी।
4. सचिव/महाप्रबन्धक समस्त जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तराखण्ड।
5. निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड कैम्प कार्यालय देहरादून।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून ।
8. प्रशासक, महोदय उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी।

प्रबन्ध निदेशक

UTTARAKHAND STATE CO-OPERATIVE BANK LTD. (ApexBank)
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० (शीर्ष बैंक)
(शैड्यूल्ड बैंक)
प्रधान कार्यालय : प्रशासनिक भवन, नैनीताल रोड हल्द्वानी
Ph.: 05946- 255115, Fax No.251198, E-mail :uscbho@rediffmail.com

पत्रांक 3229 / लेखा / सेवा प्रभार / 2022–23 दिनॉक 14-03-2023

समस्त शाखा प्रबन्धक
उत्तरांखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0,
उत्तराखण्ड।

विषय–दिनॉक 01.04.2023 से संशोधित सेवा प्रभार / अन्तरण / संग्रहण प्रभार दरें।

इस कार्यालय के पत्रांक–2385 / लेखा / सेवा प्रभार / 2017–18 दिनांक 31.03.2018 में सशोंधित करते हुये सेवा प्रभार, चैक संग्रहण तथा ऋण लेखा एवं बचत खातों के परिचालन की प्रभार दरों में बैंक कार्यकारिणी की बैठक दिनॉक 24.02.2023 द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 23 में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्न प्रकार से सशोंधित की जाती है।

क0सं0	विवरण	वर्तमान दर	बैंक द्वारा प्रस्तावित दरें दिनॉक 01.04.2023
1.	अ. चैक संग्रह प्रभार (बाह्य संग्रहण)		
	रू0 10,000.00 तक	रू0 50.00 + जी0एस0टी0	रू0 50.00 + जी0एस0टी0
	रू0 10,001.00 से रू0 1,00,000.00	रू0 100.00 + जी0एस0टी0	रू0 100.00 + जी0एस0टी0
	रू0 1.00 लाख से अधिक	रू0 200.00 + जी0एस0टी0	रू0 200.00 + जी0एस0टी0
2.	RTGS/NEFT		
	RTGS above 2.00 lacs to 5.00 lacs	रू0 25.00 + जी0एस0टी0	रू0 24.50 + जी0एस0टी0
	Above 5.00 lacs	रू0 50.00 + जी0एस0टी0	रू0 49.50 + जी0एस0टी0
	NEFT Charges		
	Upto 10,000.00 Rs.	रू0 2.50 + जी0एस0टी0	रू0 2.50 + जी0एस0टी0
	Rs. 10 thousand to Rs 1.00 lacs	रू0 5.00 + जी0एस0टी0	रू0 5.00 + जी0एस0टी0
	Rs. 1.00 lacs to 2.00 lacs	रू0 15.00 + जी0एस0टी0	रू0 15.00 + जी0एस0टी0
3.	बिल्स कलैक्शन (बाह्य)		
	रू0 10,000.00 तक	रू0 150.00 + जी0एस0टी0	रू0 135.00 + जी0एस0टी0
	रू0 10,001.00 से अधिक	रू0 2.00 प्रति हजार + जी0एस0टी0 अधिकतम रू0 150.00 + जी0एस0टी0	रू0 5.00 प्रति हजार + जी0एस0टी0 अधिकतम रू0 135.00 + जी0एस0टी0
4.	डुप्लीकेट ड्राफ्ट / एडवाईज	रू0 100.00 + जी0एस0टी0	रू0 125.00 + जी0एस0टी0

(1)

		प्रति ड्राफ्ट	प्रति ड्राफ्ट
5.	ड्राफ्ट नवीनीकरण एवं निरस्त	रू0 100.00 + जी0एस0टी0 प्रति ड्राफ्ट	रू0 135.00 + जी0एस0टी0 प्रति ड्राफ्ट
6(अ)	चैक बिल वापसी (शाखा में जमा एवं अन्य द्वारा वापसी)		
	स्थानीय	रू0 50.00 + जी0एस0टी0	रू0 50.00 + जी0एस0टी0
	बाह्य	रू0 150.00 + जी0एस0टी0 + डाक खर्च रू0 40.00	रू0 150.00 + जी0एस0टी0 + डाक खर्च रू0 40.00
6.(ब)	चैक वापसी (अन्य शाखा पर देय)		
(i)	अपर्याप्त धनराशि होने पर वापसी	रू0 200.00 + जी0एस0टी0	रू0 200.00 + जी0एस0टी0
(ii)	अन्य कारण से वापसी	रू0 100.00 + जी0एस0टी0	रू0 100.00 + जी0एस0टी0
7.	अदेय प्रमाण–पत्र	रू0 100.00 + जी0एस0टी0 (सरकारी योजनाओं हेतु निःशुल्क)	रू0 100.00 + जी0एस0टी0 (सरकारी योजनाओं हेतु निःशुल्क)
8.	साख प्रमाण–पत्र	रू0 300.00	रू0 300.00
9.	ब्याज प्रमाण–पत्र– 1st Copy Free	मूल प्रति निशुल्क डुप्लीकेट प्रति रू0 100.00 + जी0एस0टी0	मूल प्रति निशुल्क डुप्लीकेट प्रति रू0 100.00 + जी0एस0टी0
	Balance Certificate– 1st Copy Free	रू0 100.00 + जी0एस0टी0	रू0 100.00 + जी0एस0टी0
	Record Copy of the Cheque	रू0 100.00 + जी0एस0टी0 Per Instrument	रू0 100.00 + जी0एस0टी0 Per Instrument
	ब. प्रासंगिक सेवा प्रभार का विवरण	बैंक द्वारा प्रस्तावित दरें दिनाँक 01.03.2023	बैंक द्वारा प्रस्तावित दरें दिनाँक 01.03.2023
	बचत खाते में न्यूनतम शेष न रखने पर	रू0 200.00 + जी0एस0टी0 प्रति वर्ष।	रू0 100.00 + जी0एस0टी0 प्रति वर्ष।
	चालू खाते में न्यूनतम शेष न रखने पर	रू0 150.00 + जी0एस0टी0 तिमाही।	रू0 150.00 + जी0एस0टी0 तिमाही।
	चालू/बचत खाता 6 माह से कम अवधि में बन्द करने पर	रू0 200.00 + जी0एस0टी0 तिमाही (बचत एवं व्यक्तिगत) रू0 1000.00 + जी0एस0टी0 तिमाही कम्पनी के लिये	रू0 200.00 + जी0एस0टी0 तिमाही (बचत एवं व्यक्तिगत) रू0 1000.00 + जी0एस0टी0 तिमाही कम्पनी के लिये
	पासबुक जारी करने पर	प्रथम पासबुक शून्य। डुप्लीकेट पासबुक रू0 100.00 + जी0एस0टी0	प्रथम पासबुक शून्य। डुप्लीकेट पासबुक रू0 100.00 + जी0एस0टी0
	अपरिचालित खातों पर प्रभार	रू0 50.00 (त्रैमासिक) + जी0एस0टी0	रू0 25.00 (त्रैमासिक) + जी0एस0टी0
	भुगतान रोक आदेश	रू0 50.00 +जी0एस0टी0 प्रति चैक (अधिकतम रू0 500.00 + जी0एस0टी0 रू0 एक बार में।)	रू0 100.00 +जी0एस0टी0 प्रति चैक (अधिकतम रू0 500.00 + जी0एस0टी0 रू0 एक बार में।)

10.	चैकबुक प्रभार, बचत, चालू एवं सी0सी0 1st Cheque Book Free	रू0 2.00 + जी0एस0टी0 प्रति चैक	रू0 2.00 + जी0एस0टी0 प्रति चैक
11.	आवर्ती जमा (RD) विलम्ब (SIM)	रू0 2.00 प्रतिमाह रू0 100.00	रू0 2.00 प्रतिमाह रू0 100.00
	Failed EMI Charges	रू0 25.00 + जी0एस0टी0	रू0 25.00 + जी0एस0टी0
12.	स. ऋण लेखो हेतु परिचालन प्रभार		
1	टिकाऊ उपभोक्ता ऋण (CDL)	रू0 500.00 प्रति खाता	ऋण धनराशि का 0.50 प्रतिशत, न्यूनतम रू0 500.00 + जी0एस0टी0, अधिकतम रू0 2000.00 + जी0एस0टी0 प्रति खाता
2	वाहन ऋण रू0 5.00 लाख	रू0 1,000.00 प्रति खाता	ऋण धनराशि का 0.50 प्रतिशत, न्यूनतम रू0 1,000.00 + जी0एस0टी0, अधिकतम रू0 2,000.00 + जी0एस0टी0 प्रति खाता
	रू0 5.00 लाख से अधिक	रू0 1,500.00 प्रति खाता	ऋण धनराशि का 0.50 प्रतिशत, न्यूनतम रू0 2,000.00 + जी0एस0टी0, अधिकतम रू0 5,000.00 + जी0एस0टी0 प्रति खाता
3	आवास/पर्यटन ऋण रू0 15.00 लाख तक	रू0 2,000.00 प्रति खाता	ऋण धनराशि का 0.50 प्रतिशत, न्यूनतम रू0 3,000.00 + जी0एस0टी0, अधिकतम रू0 5,000.00 + जी0एस0टी0 प्रति खाता
	रू0 15.00 से रू0 35.00 लाख तक	रू0 3,000.00 प्रति खाता	ऋण धनराशि का 0.50 प्रतिशत, न्यूनतम रू0 5,000.00 + जी0एस0टी0, अधिकतम रू0 7,500.00 + जी0एस0टी0 प्रति खाता
	रू0 35.00 से रू0 50.00 लाख तक	रू0 5,000.00 प्रति खाता	ऋण धनराशि का 0.50 प्रतिशत, न्यूनतम रू0 10,000.00 + जी0एस0टी0, अधिकतम रू0 12,500.00 + जी0एस0टी0 प्रति खाता
	रू0 50.00 से रू0 75.00 लाख तक	—	ऋण धनराशि का 0.50 प्रतिशत, न्यूनतम रू0 7,500.00 + जी0एस0टी0, अधिकतम रू0 10,000.00 +

N

			अधिकतम रू0 10,000.00 + जी0एस0टी0 प्रति खाता
4.	अन्य सावधि ऋण / कैश क्रेडिट ऋण सीमा		
	रू0 1.00 लाख से रू0 5.00 लाख तक	—	ऋण धनराशि का 0.50 प्रतिशत, न्यूनतम रू0 500.00 + जी0एस0टी0, अधिकतम रू0 2000.00 + जी0एस0टी0 प्रति खाता
	रू0 5.00 लाख से रू0 10.00 लाख तक	—	ऋण धनराशि का 0.50 प्रतिशत, न्यूनतम रू0 2,000.00 + जी0एस0टी0, अधिकतम रू0 5,000.00 + जी0एस0टी0 प्रति खाता
	रू0 10.00 लाख से रू0 20.00 लाख तक	—	ऋण धनराशि का 0.50 प्रतिशत, न्यूनतम रू0 5,000.00 + जी0एस0टी0, अधिकतम रू0 10,000.00 + जी0एस0टी0 प्रति खाता
	रू0 20.00 लाख से अधिक	—	ऋण धनराशि का 0.50 प्रतिशत न्यूनतम रू0 10,000.00 + जी0एस0टी0, अधिकतम रू0 30,000.00 + जी0एस0टी0 प्रति खाता
5.	निक्षेप दावा निस्तारण शुल्क	रू0 100.00 दावा पत्र	रू0 100.00 दावा पत्र
6.	नाम मांत्रिक सदस्यता शुल्क	रू0 100.00 (नाम मांत्रिक)	रू0 100.00 (नाममांत्रिक)
	भवन ऋण स्थलीय निरीक्षण जनपद के अन्तर्गत	रू0 500.00	रू0 1,000.00
	जनपद के बाहर	रू0 1,000.00	रू0 2,000.00
13.	खाते की एक वर्ष बाद जानकारी प्राप्त करने हेतु शुल्क	2 वर्ष तक रू0 200.00 + जी0एस0टी0 इसके उपरान्त प्रत्येक वर्ष के लिये रू0 100.00 + जी0एस0टी0 प्रति जानकारी।	2 वर्ष तक रू0 200.00 + जी0एस0टी0 इसके उपरान्त प्रत्येक वर्ष के लिये रू0 100.00 + जी0एस0टी0 प्रति जानकारी।
14.	ATM Charges		
	Annual Maintenance Fee	रू0 100.00 + जी0एस0टी0	रू0 100.00 + जी0एस0टी0
	Additional Card Fee	रू0 100.00 + जी0एस0टी0	रू0 100.00 + जी0एस0टी0
	Card Replacement / Reissue Charges fee	रू0 200.00 + जी0एस0टी0	रू0 200.00 + जी0एस0टी0
	PIN Regeneration Charges Fee	रू0 50.00 + जी0एस0टी0	रू0 50.00 + जी0एस0टी0
	SMS Alert Fee	रू0 25.00 + जी0एस0टी0	रू0 25.00 + जी0एस0टी0 (तिमाही)

15.	न्यूनतम खाता शेष उपलब्ध		
	चालू खाता–चैक बुक सुविधा युक्त	रू0 3,000.00	रू0 3,000.00
	बचत खाता बिना चैक बुक सुविधा युक्त	रू0 500.00	रू0 500.00
	बचत खाता–चैक बुक सुविधा युक्त	रू0 1,000.00	रू0 1,000.00
16.	स्टेटमैन्ट चार्ज	मूल प्रति निःशुल्क डुप्लीकेट रू0 50.00 + जी0एस0टी0 प्रतिपेज	मूल प्रति निःशुल्क डुप्लीकेट रू0 50.00 + जी0एस0टी0 प्रतिपेज
		रू0 100.00 + जी0एस0टी0	रू0 100.00 + जी0एस0टी0
17.	हस्ताक्षर प्रमाणित करना	रू0 100.00 + जी0एस0टी0	रू0 100.00 + जी0एस0टी0
18.	फोटो प्रमाणित करना	रू0 100.00 + जी0एस0टी0	रू0 100.00 + जी0एस0टी0
19.	परिचालन निर्देश में परिवर्तन	रू0 20.00 + जी0एस0टी0	रू0 30.00 + जी0एस0टी0
20.	पोस्टेज (साधारण डाक से) रजिस्टर्ड कोरियर स्पीड पोस्ट से	रू0 50.00 + जी0एस0टी0	रू0 75.00 + जी0एस0टी0
21.	लॉकर किराया (वार्षिक) स्टाफ हेतु 50.00 प्रतिशत किराया	स्मॉल साइज रू0 1,200.00 + जी0एस0टी0	स्मॉल साइज रू0 1,200.00 + जी0एस0टी0
		मीडियम साइज रू0 1,500.00 + जी0एस0टी0	मीडियम साइज रू0 1,500.00 + जी0एस0टी0
		लार्ज साइज रू0 2,000.00 + जी0एस0टी0	लार्ज साइज रू0 2,000.00 + जी0एस0टी0
22	लॉकर रजिस्ट्रेशन चार्ज	रू0 500.00 + जी0एस0टी0 One Time Charge	रू0 500.00 + जी0एस0टी0 One Time Charge
23.	ओवरड्यू लॉकर किराया चार्ज	प्रथम तिमाही किराये का 10 प्रतिशत + जी0एस0टी0 द्वितीय तिमाही किराये का 20 प्रतिशत + जी0एस0टी0 तृतीय तिमाही किराये का 30 प्रतिशत + जी0एस0टी0 चतुर्थ तिमाही किराये का 40 प्रतिशत + जी0एस0टी0 एक वर्ष से अधिक किराया अतिदेय होने पर रू0 1,000.00 + लॉकर तोड़कर खोलने एवं ताला बदलने का वास्तविक खर्च।	प्रथम तिमाही किराये का 10 प्रतिशत + जी0एस0टी0 द्वितीय तिमाही किराये का 20 प्रतिशत + जी0एस0टी0 तृतीय तिमाही किराये का 30 प्रतिशत + जी0एस0टी0 चतुर्थ तिमाही किराये का 40 प्रतिशत + जी0एस0टी0 एक वर्ष से अधिक किराया अतिदेय होने पर रू0 1,000.00 + लॉकर तोड़कर खोलने एवं ताला बदलने का वास्तविक खर्च।
24.	डी0डी0 चार्ज		
	रू0 5,000.00 तक	रू0 25.00 + जी0एस0टी0	रू0 25.00 + जी0एस0टी0
	रू0 5,001.00 से रू0 10,000 तक	रू0 50.00 + जी0एस0टी0	रू0 50.00 + जी0एस0टी0
	रू0 10,001 से रू0 1,00,000.00 तक	रू0 5.00 प्रति हजार + जी0एस0टी0 न्यूनतम रू0 60.00 + जी0एस0टी0	रू0 5.00 प्रति हजार + जी0एस0टी0 न्यूनतम रू0 60.00 + जी0एस0टी0

(8)

	रू0 1,00,000.00 से अधिक	रू0 4.00 प्रति हजार + जी0एस0टी0 अधिकतम रू0 600.00 + जी0एस0टी0	रू0 4.00 प्रति हजार + जी0एस0टी0 अधिकतम रू0 600.00 + जी0एस0टी0
25.	बैलैन्स सर्टिफिकेट	व्यक्तिगत खाते पर रू0 5.00 + जी0एस0टी0 प्रति खाता। अन्य खाते पर रू0 50.00 + जी0एस0टी0 प्रति खाता	व्यक्तिगत खाते पर रू0 5.00 + जी0एस0टी0 प्रति खाता। अन्य खाते पर रू0 50.00 + जी0एस0टी0 प्रति खाता

अन्य प्रभार / शुल्क / टैक्स

1. टी0डी0एस0–सावधि जमा ब्याज / बिल भुगतान पर आयकर विभाग के निर्देशानुसार टी0डी0एस0 कटौती की जायेगी।
2. जी0एस0टी0– केन्द्रीयत उत्पाद कर आयुक्त निर्देशों के अनुसार चार्ज किया जायेगा।
3. कैश ट्रान्सजैक्शन टैक्स– आयकर आयुक्त भारत सरकार के निर्देशानुसार चार्ज किया जायेगा।

नोट– शासकीय संस्थागत बचत / चालू / नो फ्रिल / जनधन / शीर्ष बैंक कर्मी के खातों पर न तो कोई प्रभार लिया जायेगा और न ही उन पर न्यूनतम शेष का उपबन्ध लागू होगा।

बैंक हित में यदि किसी विशेष खाता धारक को उक्त सेवा शुल्क में छूट प्रदान की जानी आवश्यक प्रतीत हो तो प्रकरणं मुख्यालय को संदर्भित किया जाय।

उपरोक्त सेवा प्रभार दिनाँक 01.04.2023 निश्चित रूप से पत्रावली / दी गयी सेवा पर उसी दिन काटा जाये तथा नियमानुसार जी0एस0टी0 भी चार्ज करना सुनिश्चित करें। बैंक में कार्यरत समस्त कर्मचारियों / अधिकारियों पर लॉकर किराये के अतिरिक्त अन्य प्रभार शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(नीरज बेलंवाल)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

1. डी0बी0ए0 / एल–01 उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी / देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार दरें साफ्टवेयर में दर्ज करें।
2. समस्त सहायक महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी।
3. समस्त सचिव / महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0।
4. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी।
5. महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
6. मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड देहरादून।
7. निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अध्यक्ष महोदय, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी, को अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र संख्या 2788/लेखा/ब्याजदर ऋण/2022–23 दिमांक 09.02.2023 के द्वारा बैंक के ऋण एवं अग्रिमों में दिनांक 15.02.2023 से ब्याज दरों में परिवर्तन किया गया था। उक्त क्रम में बैंक प्रबन्ध के निर्णयानुसार उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी द्वारा निम्नांकित ऋणों एवं अग्रिमों पर दिनॉक 15.03.2023 से ब्याज दर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

चीनी मिल एवं भवन ऋण पर 15.03.2023 से लागू संशोधित ब्याज दर

क्रम स0	ऋण/ऋण सीमा का प्रकार	Present interest rate	Effective Interest rate Wef 15.03.23
1	चीनी मिलों को दिये गये बन्धक/दृष्टिबन्धक/क्लीन ऋण सीमा एवं टर्म लोन पर .		
	क) बन्धक	10.00	9.50
	ख) दृष्टिबन्धक ऋण सीमा पर	10.50	10.50
	ग) क्लीन लोन पर	11.00	11.00
	घ) टर्म लोन (भारत सरकार की योजना के तहत)	11.00	11.00
	च) टर्म लोन (सामान्य) पर	10.50	10.50
2	अ) सामान्य भवन ऋण पर		
	क) 15 लाख रू0 तक	8.60	8.60
	ख) 15 लाख रू0 से अधिक व 35 लाख रू0 तक	9.35	9.10
	ग) 35 लाख रू0 से अधिक व 50 लाख रू0 तक	9.40	9.25
	घ) 50 लाख रू0 से अधिक पर	9.50	9.30

उक्त के अतिरिक्त अन्य ऋणों/अग्रिमों पर ब्याज दरें पूर्व की भॉति लागू रहेगी।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(नीरज बेलवाल)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी

पत्रांक. 2971 /लेखा/ब्याजदर ऋण/2022–23 दिनॉक 23.02.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. डी0बी0ए0 उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी।
2. मुख्य प्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक समस्त शाखाऐं उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 उत्तराखण्ड।
3. प्रधान प्रबन्धक, समस्त वित्तपोषित चीनी मिलें, उत्तराखण्ड।
4. समस्त सहा0 महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी।
5. सचिव/महाप्रबन्धक, समस्त जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तराखण्ड।
6. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी।
7. निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड अल्मोड़ा एवं सम्पर्क कार्यालय देहरादून।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।
9. अध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।

महाप्रबन्धक

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र संख्या 1066/लेखा/ब्याजदर ऋण/2021—22 दिनांक 31.08.2021 के क्रम में ऋण एवं अग्रिमों में ब्याज दरों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप बैंक प्रबन्ध के निर्णयानुसार उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी द्वारा ऋण एवं अग्रिमों पर दिनॉक 15.02.2023 से ब्याज दर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

बैंक स्तर पर कृषि एवं कृषियेत्तर ऋणों पर ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जायेगी एवं ब्याज की धनराशि को मूलधन में शामिल नही किया जायेगा तथा अन्य समस्त ऋणों पर ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जायेगी।

विभिन्न प्रकार के ऋणों पर 15.02.2023 से लागू ब्याज दरें —

क्रम स0	ऋण/ऋण सीमा का प्रकार	Present interest rate	Effective Interest rate Wef 15.02.23
1.	टिकाऊ उपभोक्ता ऋण (सी0डी0एल0) —	12.00	12.00
2.	एन0एस0सी0 /के0 वी0 पी0 के विरुद्ध ऋण	11.00	11.00
3.	व्यापारियों /फर्मो को दिये गये बन्धक/दृष्टिबन्धक ऋण सीमा :—		
	क) 10 लाख रू0 तक	10.00	10.25
	ग) 10 लाख रू0 से अधिक 20 लाख रू0 तक	10.50	10.75
4	निजी वाहन हेतु दिये गये वाहन ऋण पर		
	क) 7 लाख रु0 तक	8.00	8.45
	ख) 7 लाख रू0 से अधिक 10 लाख तक	8.50	8.75
	ग) 10 लाख से अधिक	8.50	9.15
5	आटो रिक्शा/टैक्सी एवं दो पहिया व चार पहिया हेतु दिये गये वाहन ऋण पर		
	क) 5 लाख रु0 तक	8.50	9.35
	ख) 5 लाख रू0 से अधिक पर	9.00	9.75
6	चीनी मिलों को दिये गये बन्धक/दृष्टिबन्धक/क्लीन ऋण सीमा एवं टर्म लोन पर		
	क) बन्धक	10.00	10.00
	ख) दृष्टिबन्धक ऋण सीमा पर	10.50	10.50
	ग) क्लीन लोन पर	11.00	11.00
	घ) टर्म लोन (भारत सरकार की योजना के तहत)	11.00	11.00
	च) टर्म लोन (सामान्य) पर	10.50	10.50
7	अ) सामान्य भवन ऋण पर		
	क) 15 लाख रू0 तक	8.00	8.60
	ख) 15 लाख रू0 से अधिक व 35 लाख रू0 तक	8.00	9.35
	ग) 35 लाख रू0 से अधिक व 50 लाख रू0 तक	8.00	9.40
	घ) 50 लाख रू0 से अधिक पर	8.00	9.50
	ब) व्यवसायिक भवन ऋण पर/सम्पति के विरूद्ध बन्धक ऋण		
	क) व्यवसायिक भवन ऋण 15 लाख रू0 तक	9.75	10.25
	ख) व्यवसायिक भवन ऋण 15 लाख रू0 से 30 लाख रू0 तक	9.75	10.25
	ग) व्यवसायिक भवन ऋण 30 लाख रू0 से अधिक पर	10.50	11.00
8	उच्च व्यवसायिक/तकनीकी/प्रबन्धकीय शिक्षा हेतु दिये गये ऋण पर		
	क) 7.50 लाख रू0 तक	8.75	9.00
	ख) 7.50 लाख से अधिक	9.25	9.50
9	कम्प्यूटर शिक्षा/ज्ञानोत्कर्श योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों/ऋण	9.00	9.50

(1)

	सीमाओं पर क) 1 लाख रु0 तक		
10	वेतन भोगी कर्मचारियों/अधिकारियों को स्वीकृत कैश केडिट पर	10.00	9.50
11	शाखाओं द्वारा व्यक्तिगत सदस्यों को कृषि एवं सहायक कृषि कलापों बागवानी पुष्पों की खेती हेतु दिये गये दिये गये अल्पकालीन एवं मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋणों पर क) 3 लाख रू0 तक ख) 3 लाख रू0 से अधिक पर	8.50 9.00	8.50 9.00
12	अन्य सभी प्रकार के मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणों पर क) 1 लाख रू0 तक क) 3 लाख रू0 तक ख) 3 लाख रू0 से अधिक पर	9.50 10.00 10.50	9.75 10.25 10.75

***Bank's MCLR as on dated 31.01.2023=7.00 (above 2 years)**

नोटः— 1. सावधि के विरूद्ध दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज दर निम्न प्रकार होगी।

मु0 1.00 करोड़ तक ऋण राशि पर सावधि ब्याज दर + 1 प्रतिशत

मु0 1.00 करोड़ से अधिक ऋण राशि पर सावधि ब्याज दर + 0.50 प्रतिशत

बैंक के अधिकारियो/कर्मचारियों एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को ऋण कैश केडिट के अतिरिक्त अन्य ऋणों पर 1 प्रतिशत कम ब्याज दर पर ऋण अनुमन्य होगा। बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कैश केडिट ऋण 8.50 प्रतिशत ब्याज दर पर अनुमन्य होगा।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(नीरज बेलवाल)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी

पत्रांक. 2788 /लेखा/ब्याजदर ऋण/2022-23 दिनॉक 09.02.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. डी0बी0ए0 उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी।
2. मुख्य प्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक समस्त शाखाऐं उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 उत्तराखण्ड।
3. प्रधान प्रबन्धक, समस्त वित्तपोषित चीनी मिलें, उत्तराखण्ड।
4. समस्त सहा0 महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी।
5. सचिव/महाप्रबन्धक, समस्त जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तराखण्ड।
6. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी।
7. निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड अल्मोड़ा एवं सम्पर्क कार्यालय देहरादून।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।
9. अध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।

महाप्रबन्धक

(2)

समितियों द्वारा सदस्यों को दीन दयाल योजनान्तर्गत ऋण पर प्रचलित ब्याज दर–

क्र0सं0	विवरण	प्रचलित ब्याज दर	समय से अदायगी करने वाले कृषकों को भारत सरकार योजना अन्तर्गत ब्याज अनुदान	समय से अदायगी करने वाले कृषकों को राज्य सरकार से वित्तीय भार की वहनता का प्रतिशत	समय से अदायगी करने वाले कृषकों को वहन करने वाला ब्याज भार
1	अल्पकालीन ऋण रू0 1.00 लाख तक	7 प्रतिशत	3 प्रतिशत	4 प्रतिशत	शून्य
2	मध्यकालीन ऋण रू0 1.60 लाख तक	11 प्रतिशत	शून्य	11 प्रतिशत	शून्य
3	मध्यकालीन ऋण रू0 1.60 लाख से अधिक–रू0 3.00 लाख तक	11 प्रतिशत	शून्य	9 प्रतिशत	शून्य
4	स्वयं सहायता समूह को ऋण रू0 5.00 लाख तक	11 प्रतिशत	शून्य	11 प्रतिशत	शून्य

विवाद एंव उनका निपटारा–

- सहकारी समिति के संघटंन, प्रबन्ध अथवा कार्य तथा समिति के वेतन भोगी कर्मचारियों के विरूद्व की गई अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्व विवाद से भिन्न विवाद का निस्तारण हेतु मध्यस्थ/मध्यस्थ मण्ड़ल नियुक्ति की व्यवस्था ।
- समिति/वादी द्वारा भेजे जाने वाले निम्नांकित प्रपत्र –
- विवाद के निस्तारण या वसूली के सम्बन्घ में पूर्व में कृत कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण व साक्ष्य
- वाद प्रस्तुत करने हेतु लिये गये निर्णय की प्रति/प्रस्ताव ।
- प्रार्थना–पत्र ।
- विवाद से सम्बन्घित पुष्ट साक्ष्यों की प्रमाणित प्रतियां ।
- लेखाशीर्षक " 0425–सहकारिता–800–अन्य प्राप्तिया– 06–अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां " के अन्तर्गत राजकीय कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक में जमा वाद शुल्क (मूल्यांकित धनराशि का 1 प्रतिशत) के जमा चालान की प्रति ।
- 2,00,000 रू0 तक के वाद जिला सहायक निबन्धक के अधिकारिता में
- 5,00,000.00 रू0 तक के वाद उप निबन्धक, सहकारिता के अधिकारिता में
- 5,00,000.00 रू0 से 10,00,000.00 रू0 तक के वाद संयुक्त निबन्धक, सहकारिता के अधिकारिता में
- 10,00,000.00 रू0 से 15,00,000.00 रू0 तक के वाद अपर निबन्घक के अधिकारिता में
- 1500000.00 रू0 से अधिक के वाद निबन्धक के अधिकारिता में

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम–2003 –एक झलक

- अधिनियम में पृथक से कृषि एंव ग्राम्य विकास बैंक की कोई व्यवस्था नहीं
- **धारा 2** में नगरीय बैंकों को परिभाषित किया गया
- एक्ट की **धारा 3 (3)** के उपबन्धों को विस्तृत रूप दिया गया
- **धारा 4** के अन्तर्गत सहकारिता के अन्तराष्ट्रीय सिद्वान्तों को अपनाया गया

- निबन्धक द्वारा समिति निबन्धित न करने पर प्रत्यावेदन की व्यवस्था
- **धारा 17** के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह तथा विद्यार्थियों को समितियों की सदस्यता ग्रहण करने का प्राविधान
- सहानुभूतिकर सदस्य बनाये जाने का प्राविधान समाप्त
- प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पॉच वर्ष किया गया
- प्रबन्ध कमेटी में अधिकतम पॉच गैर शासकीय सदस्यों को नामित किये जानें का प्राविधान
- **धारा 30 (क)** सभापति एंव उप सभापति के विरूद्व अविश्वास का प्रस्ताव लाये जाने का प्राविधान
- **धारा 31 (क) में** शीर्ष सहकारी बैंक में अनुभवी बैंक अधिकारी भी प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किये जाने का प्राविधान
- प्रबन्ध निदेशक के वित्तीय अधिकारों की सीमा में वृद्वि
- **धारा 35 (क)** बकायेदारी हेतु वसूली प्रतिशत 60 प्रतिशत किया गया
- राज्य सरकार की सहभागिता को परिभाषित किया गया
- चाटर्ड एकाउन्टेट्स के माध्यम से भी आडिट करानें का प्राविधान
- आडिट शुल्क निर्धारण करना एंव उसमें छूट देनें का प्राविधान
- **धारा 71 (6)** हाजिरी सुनिश्चित करानें एंव शपथ अभिपुष्टि या हलफनामें पर साक्ष्य देनें एंव दस्तावेजों को पेश करने हेतु बाध्य किये जाने का प्राविधान
- **धारा 71 (क)** वित्त पोषणकर्ता समिति/बैंक वित्त पोषित समिति के बकायेदारों के विरूद्व सीधे कार्यवाही का प्राविधान
- **धारा 74 (क)** परिसमापित की जाने वाली समिति के अभिलेखों का पूर्व अधिनियम में आडिट करने का प्राविधान
- **धारा 74 (ख)** पूर्व अधिनियम में परिसमापित की जाने वाली समिति की शेष सम्पत्तियों के निस्तारण का प्राविधान
- **धारा 77** सहकारी कृषि समितियों का गठन करने हेतु 5 सदस्य का प्राविधान
- **धारा 97** निबन्धक के अभिनिर्णय के विरूद्व अपील की अवधि 30 दिन के स्थान पर बढ़ाकर 45 दिन की गई
- **धारा 98** अन्य अभिनिर्णयों, आदेशों तथा निर्णयों के विरूद्व अपील प्रस्तुत किये जाने की अवधि भी बढ़ाकर 30 दिन के स्थान पर 45 दिन कर दी गई

- **धारा 99** इस धारा के अन्तर्गत न्यायाधिकरण, राज्य सरकार तथा निबन्धक को अपने अभिनिर्णयों का पुनरीक्षण करने का अधिकार प्राविधानित किया गया
- **धारा 102 (क)** उत्तराचंल राज्य सहकारी परिषद की स्थापना का प्राविधान परिषद में 11 सदस्य होगें तथा परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा
- **धारा 103** विभिन्न प्रकार के दण्ड सीमा में वृद्धि
- **धारा 104** इसके अन्तर्गत अपराध के लिए अर्थ दण्ड की राशि 500 रू0 से बढ़ाकर 1000 रू0 तथा अपराध जारी रहनें पर 10 रूपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रू0 प्रतिदिन कर दी गई
- **धारा 116** सहकारिता को सहभागिता एंव संयुक्त उघम के रूप में विकसित किये जाने का प्राविधान
- **धारा 117** सहायक संगटनों का प्रवर्तन किये जाने का प्राविधान
- **धारा 118 पुनर्निमार्ण परिषद** का प्राविधान जिसमें कुल सात सदस्य
- नियुक्ति प्रक्रिया में अध्यक्ष/संचालक मण्ड़ल की सहभागिता का प्राविधान

उत्तराचंल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003– एक झलक

- पूर्व निबन्धित समिति द्वारा राजकीय अंशपूंजी की वापसी के पश्चात इस विधेयक के अन्तर्गत पंजीकरण प्राप्त कर सकती है ।
- उक्त पंजीकरण के पश्चात ऐसी समिति पर राज्य सरकार अथवा निबन्धक का कोई नियत्रंण नही रहेगा ।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम 7 सदस्य सहकारी समिति के पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं ।
- समिति को निबन्धित करने के लिए कोई आदर्श उपविधियां नहीं होंगीं । समिति अपने उद्‌देश्यों के अनुरूप संगंम ज्ञापन एंव संगंम अनुच्छेद बनायेंगी ।
- निबन्धन अस्वीकार करने हेतु 60 दिन की अवधि
- डीम्ड रजिस्ट्रेशन का प्राविधान
- समिति अपने संगम अनुच्छेद में संशोधन हेतु स्वयं संक्षम

- सहकारी समिति/समितियां समामेलन, विलयन, विभाजन के लिए स्वतत्रं
- समिति के विवाद मध्यस्थ अभिकरण को प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान
- मध्यस्थ अभिकरण का गठन समिति की सामान्य सभा करेगी
- समिति सहकारी शिक्षा का प्राविधान स्वयं करेगी तथा इस सम्बन्ध में समस्त अधिकार सामान्य सभा में निहित होगें
- समिति लेखा परीक्षकों की नियुक्ति स्वयं करेगी तथा स्वयं लेखा परीक्षण करायेगी
- कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व निर्वाचन कराया जाना आवश्यक
- निर्वाचन समिति द्वारा स्वयं कराया जायेगा
- निर्वाचित संचालक मण्ड़ल का कार्यकाल समिति की संगंम अनुच्छेद में उल्लिखित किया जायेगा
- सहकारी समिति के सामान्य निकाय में समिति के सभी सदस्य सम्मिलित
- समिति की सामान्य सभा को समिति के विघटन का अधिकार
- न्यायालय के आदेश या निबन्धक के आदेश से भी समिति के विघटन की कार्यवाही की जा सकती है ।
- पंजीकृत सहकारी संस्थायें अपने प्रबन्धन का स्वरूप निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र
- राज्य सरकार यदि चाहे तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धित समितियों को भी सहायता प्रदान कर सकती है
- प्रत्येक समिति निबन्धक को वार्षिक सामान्य सभा आयोजन के 30 दिन के पश्चात वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करना आवश्यक
- रजिस्ट्रार सदस्यों अथवा निदेशकों के प्रार्थना–पत्रों पर ही समितियों की जॉच करवायेगा, सीधे कोई जॉच नहीं करेगा
- लगातार 2 वर्ष तक कार्य न करने पर रजिस्ट्रार को समिति विधटित करने का अधिकार
- न्यायालय द्वारा भी विघटन के निर्देश दिये जा सकते हैं
- समिति के समापन हेतु सामान्य निकाय द्वारा समापक नियुक्त किये जाने का प्राविधान
- 2 वर्ष के अन्तर्गत समापन की कार्यवाही पूर्ण कराना आवश्यक
- विशेष परिस्थितियों में रजिस्ट्रार द्वारा भी समापक नियुक्त किये जाने का प्राविधान